न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :— 72/2019
CIS No. :— PS/72/2019
CNR No. :— BRWC22–000415–2019

कृष्ण केजरीवाल बनाम् **भरत प्रसाद केजरीवाल एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
25.01.2022	अभिलेख वर्चुअल मोड में पेश हुयी। उभयपक्ष की ओर से वर्चुअल मोड द्वारा अभिलेख में पैरवी की गयी। उभयपक्ष द्वारा विद्वान अधिवक्तागण वर्चुअल मोड द्वारा संचालित कार्यवाही में उपस्थित हुये। पक्षकार अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र दिनांक 21.12.2021 पर सुना गया। प्रार्थनापत्र दिनांक 21.12.2021 प्रतिवादीगण संख्या 6(क) ता 6(ङ) द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा पूर्व में दिनांक 20.09.2019 को दाखिल बयान तहरीरी को वे लोग स्वीकार कर चुके है। इसलिए मुकदमें में अग्रिम कार्यवाही उक्त बयान तहरीरी के आधार पर किया जाए। वादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दिनांक—20.09.2019 को बयान तहरीरी दाखिल की गयी है, जिसे वारिसान स्वीकार किये है। अत: उक्त के आधार पर वाद की कार्यवाही अग्रसारित किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रार्थनापत्र दिनांक 21.12.2021 स्वीकार किया जाता है। अभिलेख वास्ते निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई /प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 की उपस्थिति हेतु दिनांक—28.02.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	